न्यायालयः— अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, बाड़मेर(राज0)।

पीठासीन अधिकारीः सुशील कुमार जैन, राज0 न्यायिक सेवा

दीवानी विविध प्रकरण संख्या— 115/2021

प्रार्थीगणः—

1— शंकरलाल पुत्र अर्जुनराम, जाति सुथार, उम्र 31 साल, निवासी नेशनल हाईवे संख्या 15, शास्त्री नगर, वार्ड संख्या 17, बाड़मेर, जिला बाड़मेर

2— श्रीमती रेवन्ति पत्नी शंकरलाल पुत्री चनणाराम, जाति सुथार, उम्र 28 साल, निवासी गांव हाथमा, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री अरिहन्त तातेड़, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री संजय सोनी, अधिवक्ता, प्रार्थीनी की ओर से।

निर्णय **दिनांक—** 29.06.2021

1. प्रार्थी शंकरलाल व प्रार्थीनी श्रीमती रेवन्ति ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13(बी) हिन्दू विवाह अधिनियम का दिनांक 09.04.2021 को पेश कर यह कथन किया कि प्रार्थीगण का विवाह दिनांक 07.05.2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार बाड़मेर में सम्पन्न हुआ। प्रार्थीगण विवाह के पश्चात करीबन चार साल तक साथ में रहे। प्रार्थीगण लम्बे समय तक एक दूसरे के साथ रहने के उपरान्त भी उनके एक दूसरे के साथ पति पत्नी के सम्बंध नहीं रहे। इस कारण प्रार्थीगण के किसी सन्तान का जन्म नहीं हुआ। विवाह के पश्चात प्रार्थीगण के मध्य गंभीर वैचारिक मतभेदो के कारण उनके एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं रह सके। जिस कारण दिनांक 15.09.2018 से यानि कि पिछले 31 माह से भी अधिक समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं व इस दौरान प्रार्थीगण का कभी भी आपस में वार्ता या मिलना तक भी नहीं हुआ हैं। प्रार्थीनी संख्या 2 गांव हाथमा में अपने पीहर रहती हैं तथा प्रार्थी संख्या 1 वर्तमान में सरकारी नौकरी के सिलसिले में जयपुर नियुक्ति होने से जयपुर में रहता हैं। प्रार्थीगण ने पिछले 31 माह से भी ज्यादा समय से एक दूसरे का परित्याग एवं अभित्यक्त कर रखा हैं। प्रार्थीगण के परिवार जनो एवं रिश्तेदारो ने समझाईश कर दाम्पत्य जीवन स्थापित करने की सलाह भी दी, किन्तु पक्षकारान के मध्य के गंभीर वैचारित मतभेदो के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ हैं। इस कारण से प्रार्थी के मध्य के विवाह को कायम रखने की अब

कोई संभावना नहीं हैं। प्रार्थीगण इस बात के लिए सहमत हो गये हैं कि विवाह का विघटन कर दिया जावें। प्रार्थीगण की शादी के पहले या शादी के बाद का कोई भी सामान, गहने, नकदी वगैरा जो भी एक दूसरे के पास था, उसे एक दूसरे को वापिस दे दिया गया हैं। अब प्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्व का कोई भी गहना, आईटम या सामान प्रार्थीनी संख्या 2 या उसके परिवार वालो के पास नहीं रहा हैं तथा इसी प्रकार प्रार्थीनी संख्या 2 के स्वामित्व का कोई भी गहना, आईटम, सामान या स्त्रीधन वगैरा प्रार्थी संख्या 1 या उसके परिवार वालो के पास नहीं रहा हैं। प्रार्थीगण के मध्य इस बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद न तो रहा तथा न हैं। प्रार्थीनी संख्या 2 ने प्रार्थी संख्या 1 से स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण के लिए एकमुश्त राशि रूपये 20 लाख देना तय किया हैं। प्रार्थी संख्या 1 की आय व आर्थिक स्थिति वगैरा को दृष्टिगत रखने पर यह राशि अधिक होते हुए भी प्रार्थी संख्या 1 ने देना स्वीकार किया तथा इस राशि की मात्रा से प्रार्थीनी संख्या 2 भी सहमत व सन्तुष्ट हैं। उक्त राशि में से 10 लाख का चैक तथा 10 लाख रूपये नकद अदा कर दिये हैं जो प्रार्थीनी संख्या 2 ने प्राप्त कर लिये हैं। प्रार्थीगण के मध्य स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण को लेकर भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हैं। प्रार्थीगण में से कोई भी एक दूसरे के विपरीत कभी भी स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण या अन्य किसी भी मद में कोई राशि का क्लेम नहीं कर सकेगें तथा न ही ऐसी कोई मांग ही कर सकेगें तथा किसी भी पक्ष द्वारा किया गया ऐसा क्लेम शुन्य एवं निरस्त समझा जायेगा। प्रार्थीगण के मध्य किसी भी प्रकार की कोई दुरभिसंधि नहीं है। अंत में निवेदन किया कि दोनों पक्षों के बीच सम्पन्न हुए विवाह दिनांक 07.05.2014 को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित कर विवाह विच्छेद करने की डिक्री जारी फरमाई जाए।

2. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. इस संबंध में गवाह ए.डब्ल्यू–1 शंकरलाल एवं ए.डब्ल्यू 2 श्रीमती रेवन्ति ने अपनी सशपथ साक्ष्य रूपी शपथ पत्र में प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति की हैं जिसे दोहराने की औपचारिकता कर समय की बर्बादी नहीं की जा रही है।

4. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद के प्रार्थना पत्र पर आई साक्ष्य से यह स्थिति स्पष्ट है कि– दोनों ने आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

किया है। दोनों के मध्य किसी प्रकार का कोई लेनदेन, भरण पोषण, सम्पत्ति विवाद आदि नहीं हैं। दोनों पक्षों की न्यायालय एवं सामाजिक स्तर पर समझाईस की गई किन्तु दोनों पक्षों द्वारा संबंधों के बिखराव के कारण मानसिक रूप से साथ रहना असंभव पाया जाता है। दोनों प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है, न्यायालय के स्तर पर समझाईस की गई इसके बावजूद दोनों पक्षों का संबंधों के बिखराव के कारण मानसिक रूप से साथ रहना असंभव पाया जाता है।

5. प्रार्थीगण ने आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत दिनांक 09.04.2021 को प्रस्तुत किया है। जिससे समयावधि की गणना की जाए तो न्यूनतम निर्धारण प्रतीक्षा काल 6 माह पूर्ण नहीं हुआ है, किन्तु करीब 3 माह पूर्ण होने को हैं। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 6माह की अवधि में शिथिलता प्रदान करने का निवेदन किया है तथा न्यायिक दृष्टांत Amardeep Singh Vs. Harveen Kaur Civil appeal 11158/2017 on 12-09-2017 SC एवं 2012 DNJ (SC) 700 Devinder Singh Narula Vs Meenakshi Nangia पेश किये। मामले की तमाम परिस्थितियों को देखते हुए उक्त न्यायिक दृष्टांतों के अनुसरण में न्यूनतम निर्धारण प्रतीक्षा काल 6 माह में छूट प्रदान की जाती है।

अतः दोनों पक्षों की साक्ष्य से आपसी सहमति के आधार पर यह विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

6. अतः प्रार्थी शंकरलाल पुत्र अर्जुनराम एवं प्रार्थीनी श्रीमती रेवन्ति पत्नी शंकरलाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13(बी) हिन्दू विवाह अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य दिनांक 07.05.2014 को हुए विवाह को प्रार्थीगण की परस्पर सहमति के आधार पर विघटित किया जाकर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाती हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जाए।

(सुशील कुमार जैन)

7. निर्णय आज दिनांक 29.06.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार जैन)